Seventeenth Loksabha

>

Title: Issue regarding the extension of BSF jurisdiction from 15 Km to 50 km in Punjab.

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): चेयरमैन साहब, थैंक यू । मुझे खुशी है कि आप इस कुर्सी पर बैठे हैं और मेरी बात को समझ सकते हैं । मैं उस बदकिस्मत स्टेट से आता हूं, जिसको लास्ट 55 ईयर्स से अपनी कैपिटल अभी तक नहीं मिली है । मैं उस स्टेट से आता हूं, वहां जो डैम है, वह भी सेंटर के अंडर है, कैपिटल भी सेंटर के अंडर है, गुरुद्वारा कमेटी इलेक्शन भी सेंटर के अंडर है । हमारे पंजाबी स्पीकिंग एरियाज़ भी हमें नहीं मिले । जो रिसेंटली अमेंडमेंट हुई है, उसका नोटीफिकेशन 2014 में किया गया । यहां इंटरनेशनल बार्डर पाकिस्तान के साथ है । वहां बीएसएफ आगे 15 किलोमीटर थी, तो उसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है । वही वहां पर रेड कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, सीज़र कर सकती है, कुछ भी पकड़ सकती है ।

HON. CHAIRPERSON: Please put your demand.

श्री रवनीत सिंह: वहां इलेक्शन होने वाले हैं । वहां पर ये चीजें प्रॉक्सी, यहां सेंटर से बीएसएफ से कंट्रोल किया जाए । पंजाब को इसलिए यह किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर क्लैसेज़ होंगे ।

HON. CHAIRPERSON: What is the demand?

श्री रवनीत सिंह: सर, गोल्डन टेंपल भी इनके अंडर, दुर्गियाना मंदिर भी इनके अंदर, अमृतसर, आधे डिस्ट्रिक्ट्स इनके अंडर आ गए हैं । वहां पर आने वाले दिनों में लोकल पुलिस के क्लैसेज़ होंगे ।

माननीय सभापति : आपको क्या चाहिए?

श्री रवनीत सिंह: वहां बीएसएफ, पंजाब पुलिस भिड़ेगी । इसको वापस लेना चाहिए । लोगों के बीच बीएसएफ को आकर क्या करना है? वह बार्डर पर रहे । वह भी हमारी सिक्योरिटी फोर्स है, लेकिन अंदर शहरों में उसे आने से रोकिए । पंजाब का यह सेंसेटिव इश्यू है ।